न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 06/2022

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पालडी एम जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री पदमाराम पुत्र श्री सादुलाराम जाति जाट निवासी पनाणियों की ढाणी मते का तला पुलिस थाना चौहटन जिला बाडमेर हाल संचालक विरात्रा माता होटल वेरा विलपुर पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 04.10.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.2021 को विरात्रा माता होटल वेरा विलपुर पुलिस थाना पालडी एम के होटल परिसर के पीछे बने ईंट के कमरों में कुल 105 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 14.07.2021 को विरात्रा माता होटल सरहद वेरा विलपुर के होटल संचालक श्री पदमाराम पुत्र श्री सादुलाराम जाति जाट निवासी पनाणियों की ढाणी मते का तला पुलिस थाना चौहटन जिला बाडमेर हाल संचालक विरात्रा माता होटल वेरा विलपुर पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही द्वारा डीजल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे वाले होटल परिसर के पीछे बने ईंट के कमरों में एक प्लॉस्टिक का 65 लीटर का जरीकन व 40 लीटर का जरी[illegible] से भरे हुए थे। इस प्रकार कुल 105 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया [illegible] से उक्त डीजल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे [illegible] भी उपलब्ध नहीं होना बताया। डीजल से भरे हुए जरीकनों से थोडा दूरी पर एक 220 लीटर [illegible] का लोहे का खाली ड्रम, तेल डालने का लोहे का [illegible]मा, डीजल मापने का [illegible] लीटर का नीले रंग का प्लॉस्टिक का खाली केन एवं एक हरे रंग की पाईप नली जिसके

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:33:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

एक सिरे पर प्लॉस्टिक की बोतल का कीमा लगा हुआ था। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल एवं लोहे का खाली ड्रम, पाईप नली, लोहे का कीमा, खाली केन को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता हैं। अप्रार्थी बहस हेतु नियत तिथि पर भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 14.07.2021 को विरात्रा माता होटल सरहद वेरा विलपुर के होटल संचालक श्री पदमाराम पुत्र श्री सादुलाराम जाति जाट निवासी पनाणियों की ढाणी मते का तला पुलिस थाना चौहटन जिला बाड़मेर हाल संचालक विरात्रा माता होटल वेरा विलपुर पुलिस थाना पालड़ी एम जिला सिरोही द्वारा डीजल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे वाले होटल परिसर के पीछे बने ईट के कमरों में एक प्लॉस्टिक का 65 लीटर का जरीकन व 40 लीटर का जरीकन डीजल से भरे हुए थे। इस प्रकार कुल 105 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया था। अप्रार्थी से उक्त डीजल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह है कि डीजल से भरे हुए जरीकनों से थोडी दूरी पर एक 220 लीटर लाल रंग का लोहे का खाली ड्रम, तेल डालने का लोहे का कीमा, डीजल मापने का एक 20 लीटर का नीले रंग का प्लॉस्टिक का खाली केन एवं एक हरे रंग की पाईप नली जिसके एक सिरे पर प्लॉस्टिक की बोतल का कीमा लगा हुआ था, जिसे प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया था। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये डीजल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए डीजल एवं लोहे का खाली ड्रम, पाईप नली, लोहे का कीमा, खाली केन का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:33:53 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner